संख्या-3/2021/96/78-2-2021-6आई.टी.(2)/2005

प्रेषक,

नेहा प्रकाश
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ: दिनांक: 28 जनवरी,2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्टेट डाटा सेंटर की प्रतिबद्व देयताओं के भुगतान एवं अपरिहार्य व्ययों को वहन करने हेतु धनराशि रू0 4,82,11,888/- की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबंध निदेशक यूपीडेस्को के पत्र संख्या-UPSDC/Budget/3357, दिनांक 15-12-2020, पत्र संख्या-UPSDC/Budget/3443, दिनांक 22-12-2020 एवं पत्र संख्या-UPSDC/Budget/3676, दिनांक 08-01-2021 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में संलग्न तालिका के कालम 2 एवं 3 के अनुसार स्टेट डाटा सेंटर की प्रतिबद्व देयताओं एवं विभिन्न आईटी कम्पोनेन्टस के क्रय किये जाने पर उत्पन्न देयताओं के भुगतान हेतु धनराशि रू0 4,82,11,888/- (रू0 चार करोड़ बयासी लाख ग्यारह हजार आठ सौ अठ्ठासी मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

1. उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
2. उक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृत इस शर्त के साथ दी जा रही है कि इसके भुगतान में संबधित योजना में पारित एमओयू की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5,भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक,यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।
5. उक्त धनराशि का उपयोग एसडीसी के आपरेशनल व्ययों एवं एस.डी.सी. योजना अन्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
7. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद उद्योग निदेशक,कानपुर तथा आईटी एवं इले0 अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर राजकोष से किया जायेगा।
9. अग्रेतर स्वीकृत का प्रस्ताव करते समय स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
10. भुगतान से पूर्व प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को सम्बन्धित कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो लेंगे तथा प्रस्तुत बिलो को सत्यापित करा लेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

11. धनराशि आहरित कर बैंक खाते में नही रखी जायेगी।
12. स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-3-2020, 07-04-2020, 11-04-2020 व 18-05-2020 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
13. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-**7** उद्योग(भारी मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखा शीर्ष **"2852**-उद्योग-**80**-सामान्य-**800**-अन्य व्यय-**17**-स्टेट डाटा सेंटर-**42**अन्य व्यय**"** के नामे डाला जायेगा।
14. यह आदेश वित्त विभाग के अ0 शा0 प0 संख्या-ई-6-51/दस-2020 दिनांक 22-01-2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

संलग्नक यथोक्त

भवदीया,
नेहा प्रकाश
विशेष सचिव

संख्या-3/2021/ 96/78-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
5. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0,लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-**6**/नियोजन अनु**0-4** ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1**/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु**0-3**/औद्योगिक विकास अनु**0-2** ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
बराती लाल
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या- 96/78-2-2021-06आई.टी.(2)/2005 दिनांक 28-01-2021 का संलग्नक

Sr	Particulars	Amount (Rs.)
1	UPSDC TPA for the period 27-3-2020 to 26-06-2020	12,37,427.00
2	AMC of IT Hardware Components (22 Networking items and 18 servers) for the quarter 25-07-2020 to 20-10-2020	17,17,608.00
3	UPSDC TPA for the period 27-6-2020 to 26-09-2020	12,37,427.00
4	Electricity Bill for the period 01-10-2020 to 01-12-2020	27,98,984.00
5	BVG/UPSD/2020/0111 Dated 01-11-2020	69,58,221.00
6	UPSDC/DR/6702 Invoice No-91055 Dated 01-10-2020	72,58,010.00
7	UPSDC TPA for the period 27-9-2020 to 26-12-2020	12,37,427.00
8	Orbit/UPSDC /2021/001 dated: 04-01-2021	1,14,56,946.00
9	Invoice No. TI/2020/211096 dated 06-01-2021 (ADC Bill)	1,36,16,588.00
10	Invoice No. FBBI.O921848871 dated 21-12-2020 (01-10-2020 To 31-1-2020)	6,93,250.00
	TOTAL	**4,82,11,888/-**

(कुल योग रू0 चार करोड़ बयासी लाख ग्यारह हजार आठ सौ अठ्ठासी मात्र)

(बराती लाल)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।